जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी.(बीपी)/2021/डी–144 दिनांकः– 25/01/2021

श्री जयकृष्ण जाजू,
श्रीमती नीता जाजू, श्रीमती मुदिता माहेश्वरी/जाजू,
जरिये पॉवर ऑफ अर्टोनी श्री जयकृष्ण जाजू,
4–क–3, जवाहर नगर, जयपुर।

विषयः– खसरा नम्बर 1550 से 1553, 1554/2903, 1569, 1572 से 1574, 1576, 1577/2904, 1744/2851, ग्राम भांकरोटा एवं खसरा नम्बर 218 से 221, 224, 225, ग्राम चिमनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर के उपविभाजित पार्ट–बी पर प्रस्तावित द्वितीय चरण में ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 09.11.2020 के संदर्भ में खसरा नम्बर 1550 से 1553, 1554/2903, 1569, 1572 से 1574, 1576, 1577/2904, 1744/2851, ग्राम भांकरोटा एवं खसरा नम्बर 218 से 221, 224, 225, ग्राम चिमनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर के उपविभाजित पार्ट–बी में स्थित भूखण्ड (38,116.51 वर्गमीटर) पर प्लिन्थ 0.45 मी. + स्टिल्ट 3.5 मी. + पांच तलों की ऊँचाई 15 मी. कुल 18.95 मी. ऊँचाई के प्रस्तावित द्वितीय चरण में ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये थे, उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 236वीं बैठक दिनांक 18.01.2021 के निर्णयानुसार निम्न शर्तो के साथ दी जाती हैः–

1. यह भवन अनुज्ञा मार्च–2026 (दिनांक 29.04.2019 को जारी भवन मानचित्रानुसार) तक प्रभावी है।
2. परियोजना से संबंधित भवन विनियम 2020 में निर्धारित प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
3. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
4. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 10.11 एवं अन्य बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
5. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 12.3 के अनुसार भवन में विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधानों की पालना एवं एनर्जी कर्न्जेवेशन बिल्डिंग कोड के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
6. आप द्वारा भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 15 के अनुसार निर्माण कार्य के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी होगी।
7. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त जोन–11 प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगे।
8. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 15.5 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
9. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
10. भूस्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत आवासीय ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
11. भूस्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
12. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
13. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना भवन विनियम 2020 के विनियम 12.1 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
14. भवन परिसर में आगतुकों की पार्किंग करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
15. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।
16. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावें।
17. भवन का उपयोग प्रांरभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावें जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line

Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावें ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।

18. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वत निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
19. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगें।
20. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा परियोजना के अधिवास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन का अनापत्ति प्रमाण पत्र, पर्यावरण विभाग की Consent to operate (यदि आवश्यक हैं तो) नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
21. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावें।
22. आप द्वारा Split location भूखण्ड संख्या 61 एवं 62, क्षेत्रफल 152.77 वर्गगज (प्रत्येक भूखण्ड) योजना वेस्टर्न ग्रीन्स, ग्राम चक बीचपडी एवं जय भवानीपुरा, जयपुर पर EWS/LIG का निर्माण मूल भूखण्ड की जारी की गई स्वीकृति की दिनांक से 30 माह के भीतर तैयार कर सूचना जविप्रा को दी जानी होगी अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेंगी।

संलग्नः— मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (27 मानचित्र)

भवदीय,

(ओमप्रकाश पारीक)
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हसनपुरा रोड, रेल्वे हॉस्पीटल के पास, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. रजिस्ट्रार, Rajasthan Real Estate Regulatory Authority, 2nd & 3rd Floor, RSIC Building, Udyog Bhavan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005 को सूचनार्थ प्रेषित हैं।
4. मुख्य नियन्त्रक (प्रर्वतन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (27 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. श्री धर्मपाल सिंह, उपकर निर्धारण अधिकारी एवं संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, शान्ति नगर, हसनपुरा, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित हैं।
6. उपायुक्त, जोन–11, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (27 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
7. उपायुक्त राजस्व–प्रथम, नगर निगम, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ. 6( )/उपा. रा (प्रथम)/जननि/2019/18 दिनांक 08.03.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित हैं।

(ओमप्रकाश पारीक)
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

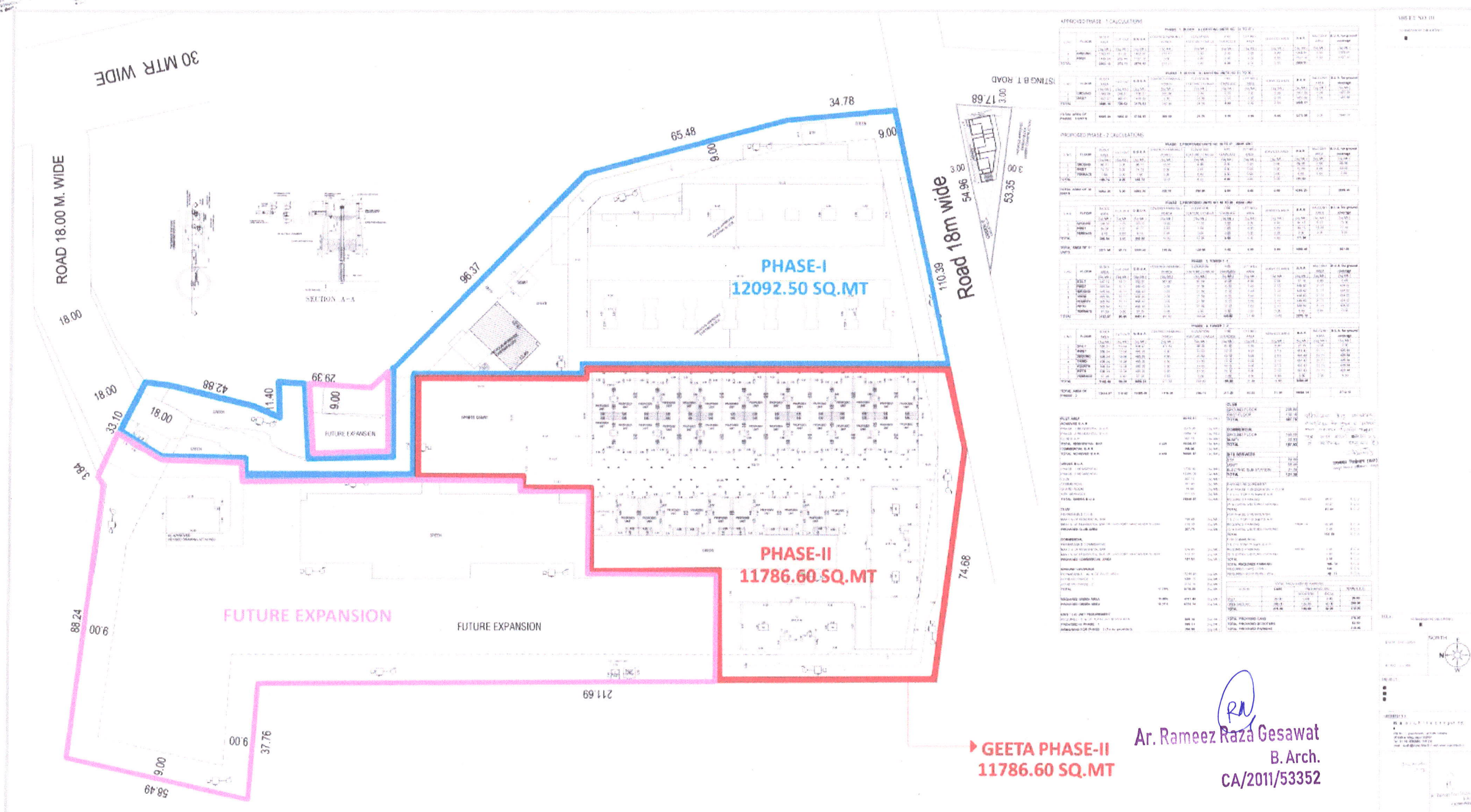
30 MTR WIDE
ROAD 18.00 M. WIDE
Road 18m wide
PHASE-I
12092.50 SQ.MT
PHASE-II
11786.60 SQ.MT
FUTURE EXPANSION
FUTURE EXPANSION
SECTION A-A
GEETA PHASE-II
11786.60 SQ.MT
Ar. Rameez Raza Gesawat
B. Arch.
CA/2011/53352

construction checked at plinth level before proceeding further construction.

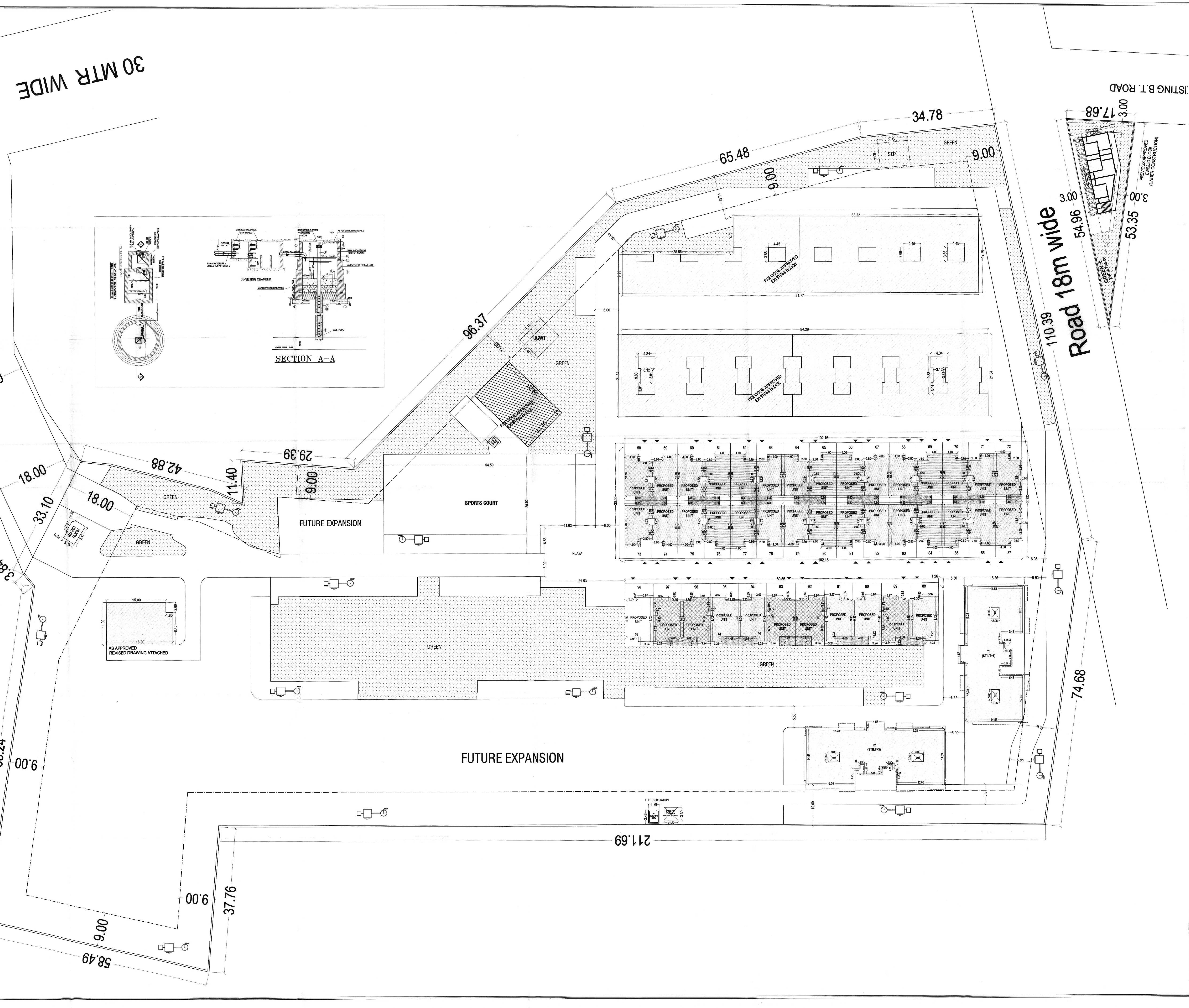

SHEET NO. 01

SUBMISSION DRAW [redacted]

APPROVED PHASE - 1 CALCULATIONS

PHASE - 1, BLOCK - A (EXISTING UNITS NO. 31 TO 57)

S.NO.	FLOOR	BLOCK AREA (Sq.Mt.)	CUT-OUT (Sq.Mt.)	G.B.U.A. (Sq.Mt.)	COVERED PARKING / PORCH (Sq.Mt.)	ELEVATION FEATURE / CHAJJA (Sq.Mt.)	FIRE STAIRCASE (Sq.Mt.)	LIFT WELL AREA (Sq.Mt.)	SERVICES AREA (Sq.Mt.)	B.A.R. (Sq.Mt.)	BALCONY AREA (Sq.Mt.)	B.U.A. for ground coverage (Sq.Mt.)
1	GROUND	1503.61	81.29	1422.32	213.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1208.81	0.00	1208.81
2	FIRST	1449.54	292.44	1157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1157.10	0.00	1157.10
TOTAL		2953.15	373.73	2579.42	213.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2365.91		

PHASE - 1, BLOCK - B (EXISTING UNITS NO. 01 TO 30)

S.NO.	FLOOR	BLOCK AREA (Sq.Mt.)	CUT-OUT (Sq.Mt.)	G.B.U.A. (Sq.Mt.)	COVERED PARKING / PORCH (Sq.Mt.)	ELEVATION FEATURE / CHAJJA (Sq.Mt.)	FIRE STAIRCASE (Sq.Mt.)	LIFT WELL AREA (Sq.Mt.)	SERVICES AREA (Sq.Mt.)	B.A.R. (Sq.Mt.)	BALCONY AREA (Sq.Mt.)	B.U.A. for ground coverage (Sq.Mt.)
1	GROUND	1949.08	248.81	1700.27	242.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1457.29	0.00	1457.29
2	FIRST	1937.07	460.81	1476.26	0.00	24.38	0.00	0.00	0.00	1451.88	0.00	1451.88
TOTAL		3886.15	709.62	3176.53	242.98	24.38	0.00	0.00	0.00	2909.17		

TOTAL AREA OF PHASE - 1 UNITS	6839.30	1083.35	5755.95	456.49	24.38	0.00	0.00	0.00	5275.08	0.00	2666.10

PROPOSED PHASE - 2 CALCULATIONS

PHASE - 2,PROPOSED UNITS NO. 58 TO 87 , 3BHK UNIT

S.NO.	FLOOR	BLOCK AREA (Sq.Mt.)	CUT-OUT (Sq.Mt.)	G.B.U.A. (Sq.Mt.)	COVERED PARKING / PORCH (Sq.Mt.)	ELEVATION FEATURE / CHAJJA (Sq.Mt.)	FIRE STAIRCASE (Sq.Mt.)	LIFT WELL AREA (Sq.Mt.)	SERVICES AREA (Sq.Mt.)	B.A.R. (Sq.Mt.)	BALCONY AREA (Sq.Mt.)	B.U.A. for ground coverage (Sq.Mt.)
1	GROUND	86.71	0.00	86.71	10.67	6.48	0.00	0.00	0.00	69.56	2.58	66.98
2	FIRST	74.13	0.00	74.13	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	72.08	9.08	63.00
3	TERRACE	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		168.74	0.00	168.74	10.67	8.53	0.00	0.00	0.00	141.64		

TOTAL AREA OF 30 UNITS	5062.20	0.00	5062.20	320.10	255.90	0.00	0.00	0.00	4249.20		2009.40

PHASE - 2,PROPOSED UNITS NO. 88 TO 98 , 4BHK UNIT

S.NO.	FLOOR	BLOCK AREA (Sq.Mt.)	CUT-OUT (Sq.Mt.)	G.B.U.A. (Sq.Mt.)	COVERED PARKING / PORCH (Sq.Mt.)	ELEVATION FEATURE / CHAJJA (Sq.Mt.)	FIRE STAIRCASE (Sq.Mt.)	LIFT WELL AREA (Sq.Mt.)	SERVICES AREA (Sq.Mt.)	B.A.R. (Sq.Mt.)	BALCONY AREA (Sq.Mt.)	B.U.A. for ground coverage (Sq.Mt.)
1	GROUND	104.32	1.25	103.07	10.62	11.32	0.00	0.00	0.00	81.13	6.13	75.00
2	FIRST	94.04	2.27	91.77	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	90.73	13.29	77.44
3	TERRACE	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		206.54	3.52	203.02	10.62	12.36	0.00	0.00	0.00	171.86		

TOTAL AREA OF 11 UNITS	2271.94	38.72	2233.22	116.82	135.96	0.00	0.00	0.00	1890.46		851.84

PHASE - 2, TOWER T- 1

S.NO.	FLOOR	BLOCK AREA (Sq.Mt.)	CUT-OUT (Sq.Mt.)	G.B.U.A. (Sq.Mt.)	COVERED PARKING / PORCH (Sq.Mt.)	ELEVATION FEATURE / CHAJJA (Sq.Mt.)	FIRE STAIRCASE (Sq.Mt.)	LIFT WELL AREA (Sq.Mt.)	SERVICES AREA (Sq.Mt.)	B.A.R. (Sq.Mt.)	BALCONY AREA (Sq.Mt.)	B.U.A. for ground coverage (Sq.Mt.)
1	STILT	547.12	15.11	532.01	367.82	87.04	43.00	6.96	0.00	27.19	0.00	0.00
2	FIRST	505.54	15.11	490.43	0.00	21.58	13.12	5.00	2.13	448.60	31.71	424.02
3	SECOND	505.54	15.11	490.43	0.00	21.58	13.12	5.00	2.13	448.60	31.71	424.02
4	THIRD	505.54	15.11	490.43	0.00	21.58	13.12	5.00	2.13	448.60	31.71	424.02
5	FOURTH	505.54	15.11	490.43	0.00	21.58	13.12	5.00	2.13	448.60	31.71	424.02
6	FIFTH	505.54	15.11	490.43	0.00	21.58	13.12	5.00	2.13	448.60	31.71	424.02
7	TERRACE	57.25	0.00	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		3132.07	90.66	3041.41	367.82	194.94	108.60	31.96	10.65	2270.19		

PHASE - 2, TOWER T- 2

S.NO.	FLOOR	BLOCK AREA (Sq.Mt.)	CUT-OUT (Sq.Mt.)	G.B.U.A. (Sq.Mt.)	COVERED PARKING / PORCH (Sq.Mt.)	ELEVATION FEATURE / CHAJJA (Sq.Mt.)	FIRE STAIRCASE (Sq.Mt.)	LIFT WELL AREA (Sq.Mt.)	SERVICES AREA (Sq.Mt.)	B.A.R. (Sq.Mt.)	BALCONY AREA (Sq.Mt.)	B.U.A. for ground coverage (Sq.Mt.)
1	STILT	550.01	15.04	534.97	371.54	86.28	43.00	6.96	0.00	27.19	0.00	0.00
2	FIRST	508.24	15.04	493.20	0.00	21.53	13.12	5.00	2.13	451.42	31.71	426.84
3	SECOND	508.24	15.04	493.20	0.00	21.53	13.12	5.00	2.13	451.42	31.71	426.84
4	THIRD	508.24	15.04	493.20	0.00	21.53	13.12	5.00	2.13	451.42	31.71	426.84
5	FOURTH	508.24	15.04	493.20	0.00	21.53	13.12	5.00	2.13	451.42	31.71	426.84
6	FIFTH	508.24	15.04	493.20	0.00	21.53	13.12	5.00	2.13	451.42	31.71	426.84
7	TERRACE	57.25	0.00	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		3148.46	90.24	3058.22	371.54	193.93	108.60	31.96	10.65	2284.29		

TOTAL AREA OF PHASE - 2	13614.67	219.62	13395.05	1176.28	780.73	217.20	63.92	21.30	10694.14		3712.10

PLOT AREA		38116.51	(Sq.Mt.)
ACHIEVED B.A.R.			
PHASE -1 RESIDENTIAL B.A.R.		5275.08	(Sq.Mt.)
PHASE -2 RESIDENTIAL B.A.R.		10694.14	(Sq.Mt.)
CLUB B.A.R.		367.75	(Sq.Mt.)
TOTAL RESIDENTIAL BAR	0.429	16336.97	(Sq.Mt.)
COMMERCIAL B.A.R.		165.00	(Sq.Mt.)
TOTAL ACHIEVED B.A.R.	0.433	16501.97	(Sq.Mt.)
GROSS B.U.A.			
PHASE -1 RESIDENTIAL		5755.95	(Sq.Mt.)
PHASE -2 RESIDENTIAL		13395.05	(Sq.Mt.)
CLUB		367.75	(Sq.Mt.)
COMMERCIAL		187.93	(Sq.Mt.)
GUARD ROOM		18.99	(Sq.Mt.)
SITE SERVICES		121.20	(Sq.Mt.)
TOTAL GROSS B.U.A.		19846.87	(Sq.Mt.)
CLUB			
PERMISSIBLE CLUB			
MAX 5 % OF RESIDENTIAL BAR		798.46	(Sq.Mt.)
MIN 2 % OF RESIDENTIAL BAR OR 1500 SQMT. WHICHEVER IS LESS		319.38	(Sq.Mt.)
PROVIDED CLUB AREA		367.75	(Sq.Mt.)
COMMERCIAL			
PERMISSIBLE COMMERCIAL			
MAX 5 % OF RESIDENTIAL BAR		816.85	(Sq.Mt.)
MIN 1 % OF RESIDENTIAL BAR OR 1000 SQMT. WHICHEVER IS LESS		163.37	(Sq.Mt.)
PROVIDED COMMERCIAL AREA		187.93	(Sq.Mt.)
GROUND COVERAGE			
PERMISSIBLE - 40 % OF PLOT AREA		15246.60	(Sq.Mt.)
ACHIEVID PHASE - 1		3066.70	(Sq.Mt.)
ACHIEVID PHASE - 2		3712.10	(Sq.Mt.)
TOTAL	17.78%	6778.80	(Sq.Mt.)
REQUIRED GREEN AREA	15.00%	5717.48	(Sq.Mt.)
PROVIDED GREEN AREA	16.31%	6215.14	(Sq.Mt.)
EWS / LIG UNIT REQUIREMENT			
REQUIRED - 5 % OF TOTAL ACHIEVED BAR		825.10	(Sq.Mt.)
PROVIDED IN PHASE - 1		559.11	(Sq.Mt.)
REMAINING FOR PHASE - 2 (To be provided)		265.99	(Sq.Mt.)

CLUB	
GROUND FLOOR	235.60
FIRST FLOOR	132.15
TOTAL	367.75

COMMERCIAL	
GROUND FLOOR	165.00
MUMTY	22.93
TOTAL	187.93

SITE SERVICES	
STP	50.00
UGWT	50.00
ELECTRIC SUB STATION	21.20
TOTAL	121.20

परियोजना हेतु आवश्यक EWS/LIG के कुल 6 आवासों का प्रस्ताव निर्माण अनुज्ञा पत्र की शर्त संख्या 22 में उल्लेख अनुसार है

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

PARKING REQUIREMENT			
FOR PHASE-1 RESIDENTIAL + CLUB			
1 E.C.U. FOR 115 Sqmt B.A.R.			
REQUIRED PARKING	5642.83	49.07	E.C.U.
25 % EXTRA VISITORS PARKING		12.27	E.C.U.
TOTAL		61.34	E.C.U.
FOR PHASE-2 RESIDENTIAL			
1 E.C.U. FOR 115 Sqmt B.A.R.			
REQUIRED PARKING	10694.14	92.99	E.C.U.
10 % EXTRA VISITORS PARKING		9.30	E.C.U.
TOTAL		102.29	E.C.U.
FOR COMMERCIAL			
1 E.C.U. FOR 75 Sqmt B.A.R.			
REQUIRED PARKING	165.00	2.20	E.C.U.
25 % EXTRA VISITORS PARKING		0.55	E.C.U.
TOTAL		2.75	E.C.U.
TOTAL REQUIRED PARKING		166.38	E.C.U.
REQUIRED CARS (75%)		125	E.C.U.
REQUIRED SCOOTERS (25%)		42.38	E.C.U.

TOTAL PROVISION OF PARKING

FLOOR	CARS	TWO WHEELERS SCOOTERS	TWO WHEELERS E.C.U.	TOTAL E.C.U.
STILT	28.00	0.00	0.00	28.00
OPEN GROUND	248.00	126.00	42.00	290.00
TOTAL	276.00	126.00	42.00	318.00

TOTAL PROVIDED CARS	276.00
TOTAL PROVIDED SCOOTERS	42.00
TOTAL PROVIDED PARKING	318.00

TITLE:- SUBMISSION [redacted]

DATE : 07/11/2020

SCALE:- 1= 300

PROJECT:-
[redacted]

ARCHITECTS:-
m|a|archite
Plot No. -1, greenwoods, Lal Kot
off Sahkar Marg, Jaipur-302001
Tel : 91 141 4299999, 2741232
email - studio@maarchitects.in

OWNER